हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
18/12/2025	नील सरवी चौपट। कब्जा सरबीना पत्र सुनी गई। संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि सरबीना पत्र वर्णित आराजियात मौजूदी है, सरबीया अपरावी केवला 01 की मृत है व अपरावी केवला 01 उक्त सरबीना पत्र वर्णित आराजियात को पूर्ति-पूर्ति करने पर आमादा है। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया कि गये कब्जा पर मतन कि प्रथम दृष्टिया मालूम, पूर्विया सन्तुलन व अपूरणीय क्षति सरबीया के पक्ष मे बनती है। अतः सरबीना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय किया जाता है कि कुल रकबा 62/2023 के निर्णित तक मौजा रामपुरी प0ह0नं0 तहसील मजकूर की आ0क्र0 199, 207, 208, 209, 210, 212, 213 कुल किता 07 कुल रकबा 2.46 हेक्टर व मौजा रामपुरी की आ0क्र0 254, 256 कुल किता 02 कुल रकबा 1.70 हेक्टर मे अपरावी केवला 01 मीतू के साथ एवं एक दिन्ते तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली मैपल कमरे लेकर जाकर के रख दी। कार्यवाही मुलतवी रखा।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़